

## सहायक ग्रेड-3 की सूची

सहायक ग्रेड-3 के पद हेतु मेरिट अनुसार निम्नानुसार योग्य उम्मीदवार पाये गये हैं, जिनकी सूची अनुमोदन के लिए माननीय उच्च न्यायालय को तथा उच्च न्यायालय की highcourt.cg@nic.in तथा जिला संपर्क अधिकारी को दैनिक समाचारपत्र में प्रकाशनार्थ तथा जिला न्यायालय के सूचना पटल पर चस्पा की जावे।

### उम्मीदवार के नाम (सामान्य)                      प्राप्तांक

1. प्रवीण कुमार देवांगन	120.05
2. राजेन्द्र कुमार सोनी	118.33
3. सूरज कुमार तिवारी	118.08
4. शैलेन्द्र कुमार अनन्त	117.59
5. अशोक कुमार श्रीवास	116.53

### महिला प्रत्याशी

1.कुमारी कविता पाण्डेय	96.45
------------------------	-------

### प्रतीक्षा सूची:-

1. प्रदीप सिंह राजपूत	112.98
2. रविश अग्रवाल	108.03
3. प्रशांत चन्ने	105.13

### पिछडा वर्ग पुरुष:-

1. भानू प्रताप	115.47
2. कृष्ण कुमार पुटान	111.65

### प्रतीक्षा सूची-

1. टेमन लाल साहू	110.82
2. जगदीश प्रसाद राठौर	106.55
3. गोपाल प्रसाद देवांगन	104.58

### अनुसूचित जनजाति-

1. धरम सिंह कंवर	102.48
2. देवप्रकाश स्वादू	90.05
3. निर्मल दीपचंद कुजुर	83.65
4. विनोद कुमार	83.03
5. चित्रभान कंवर	70.05

//2//

महिला अनुसुचित जनजाति-

1. कु. मंजु केरकेट्टा	81.07
2. कु. देवकुमारी ठाकुर	79.55

अनुसुचित जाति-

महिला:-

1. कुमारी संतोषी चौहान	79.97	
2. कु. मनीता केसरी	71.07	
3. लता कुमारी	60.95	प्रतीक्षा सुची

पुरुष:-

1. मानसिंह चौहान	109.05	
2. संजय कुमार पाटले	93.06	
3. खिराज कुमार बंजारे	88.93	
4. रामधार कुंदाबोर	86.47	
5. कुंवर सिंह मनियारा	75.63	प्रतीक्षा सुची
6. राजेन्द्र बंजारा	72.7	प्रतीक्षा सुची

// 3 //

स्टेनोग्राफर / शीघ्रलेखक

1. सोमेश कुमार नायडू	156.97
2. प्रवीण राठौर	151.23
3. राजेन्द्र कुमार देवांगन	150.8

प्रतीक्षा सूची-

1. पुरुषोत्तम प्रसाद डडसेना	131.65
-----------------------------	--------

नोट- उक्त चयनित प्रत्याशियों की सूची माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर को अनुमोदन के लिए भेजी जाकर माननीय उच्च न्यायालय से अनुमोदन/स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त आरक्षित वर्ग के प्रत्याशियों को उनके प्रमाणपत्र का सत्यापन संचालक आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान छ.ग. रायपुर से कराना आवश्यक है। प्रमाणपत्र सत्यापन प्रमाणपत्र पेश किये जाने पर तथा पुलिस सत्यापन एवं जिला चिकित्सालय से फिटनेस प्रमाणपत्र प्राप्त होने तथा उनके शैक्षणिक योग्यताओं के मूल दस्तावेजों की जांच उपरान्त सही पाये जाने पर ही उक्त प्रत्याशी नियुक्ति के योग्य पाये जायेंगे तथा तत्पश्चात उनके नियुक्ति आदेश जारी किये जाने योग्य होंगे।

कोरबा

दिनांक-26 / 8 / 2009

जिला एवं सत्र न्यायाधीश  
कोरबा (छ.ग.)

